मध्यम वर्गीय महिला शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन . पटना जिला के संदर्भ में

[1]Prof. (Dr.) Chetlal Prasad, [2]Sweta Rani

[1]Professor of Education, [2]Research Scholar
Maa Vindhyavashini College of Education, Department of Education
Authorized Supervisor (SNU Ranchi) Sai Nath University

1. 0 प्रस्तावना :

किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग हैं। अतः महिलाओं का विकास करके ही सार्वभौमिक विकास की कल्पना को साकार करना संभव हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य की पुष्टि करते कहा हैं कि यदि आपको विकास करना हैं तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। वर्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा को देखकर ज्ञात की जा सकती हैं। स्त्रियों की स्थिति ही वह दृष्टि हैं जो समाज की दशा और दिशा को स्पष्ट करती हैं। स्त्रियाँ ही संतति की परम्परा के निर्वहन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर भी प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक कहे जानें वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रहीं हैं। 21 वी सदीं में कदम रखने वाले भारतीय समाज में नारी को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ हैं जों कि उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। प्रारंभ में नारी, पुरूष के कार्यो में कोई भेद नही था, ज्यों–ज्यों मानव विकास की ओर बढ़ता गया, उसके कार्यो में भी विभाजन होता गया। धीरे–धीरे इन कार्यो में विशेषीकरण भी आया और स्त्री–पुरूष के कार्यो में श्रम विभाजन हुआ। संसार का प्रत्येक समाज मातृ सत्तात्मक परिवार होने से सम्पत्ति पर, परिवार के नाम पर वंश गोत्र इत्यादि पर नारी का अधिकार हुआ करता था। जिससे उसकी स्थिति ऊच हुआ करती थी। लेकिन धीरे–धीरे इस व्यवस्था में परिर्वतन हुआ और परिवार पितृ सत्तात्मक होने लगे और हर मामले में पुरूष ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया एवं वह नारी को तुच्छ समझने लगा। उत्पादकता का आश्रय लेकर पुरूष ने नारी को घर की वस्तु बना दिया और स्वयं उसका मालिक बन बैठा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश की अधिकांश महिलाएं विशेष तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाएं निरक्षर, रूढ़िवादी एवं परम्परागत बंधनों में जकड़ी हुई थी। घर की चार दीवारी तथा तक सीमित ग्रामीण महिलाएं अनेक प्रकार की कुरीतियों व कुप्रथाओं यथा बाल विवाह प्रथा व दहेज का दंश झेल रहीं थी। समाज में विद्यमान महिला पुरूष भेदभाव का कारण ग्रामीण गरीब महिलाओं को विविध प्रकार के अत्याचार, अनाचार, तिरस्कार व उपेक्षा आदि का सामना करना पड़ता था। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने ग्रामीण महिलओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके समग्र व संकलित विकास को सुनिश्चित करनें व उनके विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने हेतु अनेक विधियां, उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया। यहीं नहीं, महिलाओं को सशक्त, अधिकार संपन्न व जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान के अनुच्छेंद 39 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतय इसका संचलान करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो इसके साथ संविधान में महिलाओं को परम्परागत बंधनों से विमुक्त करवाने के लिए विशेष रियायतों व प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति सुधारनें हेतु विशेष प्रावधान किये गए जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्तर में काफी सुधार भी हुए हैं। वर्ष 1975 को अंतराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाए जाने के पश्चात् सरकार ने महिला विकास हेतु विशेष प्रयास किया। यही नहीं राजनैतिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने वर्ष 1991 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिया।

निःसंदेह रूप से ग्रामीण महिलओं को जाकरूक अधिकार युक्त व शक्ति संपन्न बनाने के दृष्टि कोण से यह एक क्रांतिकारी व महत्वपूर्ण कदम है। इस क्रम में सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाकर महिलाओं की समाजिक आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है।

गौरतलब है कि ग्रामीण महिलाओं के विकास व उत्थान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व रोगजार हेतु अनेक योजनओं व कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के गठन के माध्यम से विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई, पिछड़े वर्ग के गरीबी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु स्वर्णिम योजना को प्रारंम्भ किया गया है। इस योजना के तहत इन महिलाओं को अत्यंत अल्प ब्याज दर पर 50 हजार रूपये तक ऋण देने का प्रावधान है। इन ऋणों का उत्पादक व सार्थक उपयोग करते हुये ये गरीब महिलाएँ स्वालम्बन के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। निःसंदेह रूप से स्व–सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनकर ग्रामीण महिलओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से महिलाओं की स्थिति एवं दशा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। स्व–सहायता समूह के जरिए लघु वित प्राप्त करके महिलाएं गरीबी, बेराजगारी, एवं निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

1.1 शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध कार्य न केवल पटना जिले वरन् सम्पूर्ण बिहार के महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है।

समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबके का व्यक्ति अनावश्यक तनाव, अनावश्यक मानसिक उलझन का सामना कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने समाज के सदस्यों का प्रचार किये बिना अपनी इच्छा पूरा करते है तो उसके लिये न केवल प्रतिरोध का खतरा उत्पन्न हो जाता है वरन उनके उद्देश्य के पूर्ति मे सहयोग की संभावना नही रहती है। अतः उसमें सामाजिक मूल्यों, आदर्शो तथा रीति रिवाजों के अनुरूप कार्य करने की प्रवृति होती है। जीवन में अनुकूल व प्रतिकुल दोनों तरह की दशायें आती है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उनसे समायोजन करता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितयों से अपने को समायोजित नही कर पाते है। शोध कार्य में वास्तविक स्थिति का विष्लेशण कर सशक्त प्रभाव सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा। जिनका उपयोग न केवल शोध क्षेत्र में अपितु सम्पूर्ण देष में महिला शिक्षा के विकास हेतु किया जा सकेगा। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

1.2. शोध शीर्षक :

मध्यम वर्गीय महिला शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन . पटना जिला के संदर्भ में

1.3. शोध अध्ययन के उद्देष्य :

शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या की सम्पूर्ण जानकारी एवं सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिये निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित करेगी –

1. पटना जिले में महिला शिक्षा की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
2. पटना जिले में महिला शिक्षाा के विकास हेतु संचालित योजनाओं की स्थिति ज्ञात करना।
3. पटना जिले में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना।
4. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास में शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता ज्ञात करना।
5. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना।
6. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास में आने वाली समस्याओं व अवरोधों का पता लगाना।
7. इन समस्याओं के निराकरण हेतु सशक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

1.4. शोध परिकल्पनाएँ :

शौक्षिक अनुसंधान में समस्या चयन के बाद परिकल्पनाओं की रचना शोध प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है। परिकल्पना से समस्या समाधान को उचित दिशा निर्धारित होती हैं परिकल्पनाओं द्वारा अनुसंधानकर्ता को तर्क संगत आंकड़ों के संकलन में ठीक दिषा मिलती है। भौतिक विज्ञानों में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शौक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नानुसार होगीं:–

1. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।
3. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई सार्थक अन्तर नही है।
4. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
5. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
6. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
7. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
8. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
9. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
10. शोध क्षेत्र में सामाजिक रीतिरिवाज, मान्यताएँ व कुरीतियाँ महिला शिक्षा को प्रभावित कर रही है।
11. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रचार व प्रसार के कारण सामाजिक जागरुकता बढ़ी है।

1.5. शोध समस्या मे प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

मध्यम वर्ग :–समाज का वर्गीकरण समाजशास्त्र का विषय है। यह वर्गीकरण अधिकतर आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। समाज को उच्च मध्यम और निम्न तीन वर्गों में बाँटा जाता है। देश और काल के आधार पर इन वर्गों का लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। सत्यजित राय ने जिस मध्यवर्ग की प्रस्तुति अपनी फ़िल्मों में की है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न न सही पर कमज़ोर नहीं है। वह शिक्षित भी है और विकासोन्मुख होना चाहता है लेकिन वह अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से भी अपने को मुक्त नहीं कर सका है।

पटना जिला :– पटना भारत में बिहार प्रान्त क राजधानी ह। पटना क प्राचीन नाँव पाटलिपुत्र रहे। आधुनिक पटना दुनिया की कुछ अइसन गिनल–चुनल प्रचीन नगरन में से बा जेवन बहुत प्राचीन काल से आज ले आबाद बाड़ें। अपने आप में ए शहर क बहुत इतिहासी महत्व बाटे।

9 जिले हैं– भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। पटना जिला बिहार के तीन कृषि–जलवायु क्षेत्रों के बीच जलोढ़ मैदानों में स्थित है। आधुनिक पटना बिहार राज्य क राजधानी ह आ गंगा नदी की दक्षिणी किनारा पर अवस्थित बा। सोलह लाख (16,00,000) से अधिक आवादी वाला ई शहर, लगभग 15 कि.मी. लम्बा आ 7 कि.मी. चौड़ा बाटे। प्राचीन बौद्ध आ जैन तीर्थस्थल वैशाली, राजगीर या राजगृह, नालन्दा, बोधगया अउरी पावापुरी पटना शहर की आसे–पास बाड़ें। पटना सिक्ख लोगन खातिर पवित्र अस्थान हवे। सिक्ख लोगन क 10वें आ अंतिम गुरु गुरू गोबिंद सिंह क जन्म एहिजा भइल रहेद्य हर बरिस देश–विदेश से लाखन गो सिक्ख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब क दर्शन करे आवेला लोग आ मत्था टेकेला लोग।

महिला शिक्षा के विकास :– महिला शिक्षा के विकास से तात्पर्य महिलाओं की शैक्षिक स्थिति से है। इससे तात्पर्य किसी भी महिला में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षिक उत्थान से है। षासन द्वारा संचालित विभिन्न षासकीय योजनाएँ महिला षिक्षा विकास पर क्रियान्वयन के अध्ययन से है।

महिला आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण :– महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के

राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।, महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

1.6. शोध परिसीमन :

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र बिहार का पटना जिला है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल है। अतः जिला अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत, नगर/कस्वा इस अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित होंगे। चूंकि पटना जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी ग्राम पंचायत, नगर / कस्वा का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी विकासखण्डों से 5 ग्राम पंचयात व 5 नगर/कस्वा कुल 5 ग्राम पंचायत व 5 नगर/कस्वा का चयन दैव निदर्षन द्वारा अध्ययन हेतु किया जायेगा। न्यादर्श का चयन करते समय यह विषेश रूप से ध्यान रखा गया कि सभी विकासखण्डों के ग्राम पंचयात, नगर/कस्वा ऐसे हो जो अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके।

2.0. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण के निम्नलिखित हैं –

ए.आर.एन.श्रीवास्तव (2017) ने अपने अध्ययन 'महिला सशक्तीकरणः उज्ज्वल भविष्य, काले धब्बे' में पाया कि आज के समय हर जगह गांव, कस्बे, नगर, महानगर में महिला सशक्तीकरण की चर्चा आम बात हो गई है किन्तु इसकी वास्तविकता क्या है, बहुत कम लोग समझ पाये हैं। प्रस्तुत लेख में शास्त्रीय ढंग से यह जानने का प्रयास किया गया है। निःसंदेह पिछले दशकों की तुलना में आज महिलाओं का सशक्तीकरण उज्ज्वल है तथापि इस पर कुछ काले धब्बे हैं जो अवश्य ही चिंतित कर देते हैं।

कमला देवी (2017) ने अपने अध्ययन 'महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन' में पाया कि महिलाओं पर हिंसा के रूप में पिटाई करना 20 प्रतिशत, भूखा रखना 2 प्रतिशत, कमरे में बंद रखना 2 प्रतिशत, अधिक काम कराना 30 प्रतिशत, गाली–गलौच 28 प्रतिशत, रिश्तेदारों से न मिलने देना 8 प्रतिशत तथा पड़ोसियों से बातचीत न करने देना 10 प्रतिशत पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं पर हिंसा के रूप में सबसे अधिक प्रतिशत अधिक काम कराने का पाया गया। अतएव घरेलू हिंसा हमारे समाज की प्रबल समस्या है। हमारे समाज में दिन–प्रतिदिन महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। परिवार में सबसे अधिक प्रताड़ना पति द्वारा की जाती है। अशिक्षित और कम पढ़ी–लिखी महिलाएँ अधिक संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों की महिलाएं अधिक प्रताड़ित की जाती हैं तथा कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है।

ज़किया रफत (2017) ने अपने अध्ययन 'वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला उत्पीड़न : कारण और निवारण' में पाया कि महिला उत्पीड़न के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे। महिला उत्पीड़न की 25 घटनाओं में से निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं। प्रेम प्रसंग 16 प्रतिशत, कामवासना 12 प्रतिशत, देह व्यापार 4 प्रतिशत, दहेज 4 प्रतिशत, नौकरी 4 प्रतिशत, विवाह 8 प्रतिशत, प्रतिशोध की भावना 12 प्रतिशत, सम्पत्ति 4 प्रतिशत, मद्यपान 12 प्रतिशत, छेड़छाड़ 20 प्रतिशत, अवैध सम्बन्ध 4 प्रतिशत। अतः वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बढ़ते हुए उत्पीड़न के लिए समस्त समाज दोषी है। आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। संयुक्त परिवार के विघटन से पारिवारिक बंधन, जो कि जीवन के नैतिक आधार के स्रोत थे, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप महिलाएँ यौन–वस्तु ही समझी जाती हैं।

मनोज कुमार (2017) ने अपने अध्ययन 'महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिकता' में पाया कि आज स्त्री शक्ति के दावे तो बहुत किए जाते हैं, नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाया जाता है। परन्तु नारी उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कि नारी स्वयं जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं ले लेगी। स्त्री के गहने, स्त्री की बेड़िया हैं जिसे पुरुषों ने सोची–समझी चाल के तहत बनाए रखा है। गहने पहनाकर एवं उसे सजा कर कहा जाता है कि तुम घर के अन्दर की चीज हो, तुम बाहर नहीं जा सकती। यदि स्त्री–शक्ति का जागरण किसी के कराने से होता तो अब तक हो चुका होता।

मोहिनी जैन, मो. अरशद (2017) ने अपने अध्ययन 'महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' में पाया कि सर्वाधिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। उनको आत्मनिर्भर बनाकर घरेलू हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है। सर्वाधिक प्रतिशत महिलाएँ यह मानती हैं कि शैक्षिक योग्यता का कम होना भी घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है।

3.0. षोध विधि :

षोधार्थी ने सर्वेक्षण विधियों का प्रयोग निम्नानुसार होगीं:– प्रदत्तों का अर्थ है निरीक्षण। वैज्ञानिक शैक्षिक अनुसन्धानों में प्रदत्तों की आवश्यकता पड़ती है। प्रदत्त प्रामाणिक अनुसन्धान उपकरणों या स्वयं निर्मित उपकरणों के द्वारा प्राप्त किया जायेगां। प्रदत्त परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। शैक्षिक अनुसन्धानों का सम्बन्ध समूह के गुणों से होता है। मापन के उपकरणों की सहायता से गुणों को परिणाम में बदल लिया जाता है परन्तु सभी गुणों को परिणाम में नहीं बदला जा सकता है। अनुसंधान में जिस समस्या का अध्ययन किया जाता है उसका स्वरूप अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष होता है तथा प्रदत्तों का मूल स्वरूप जटिल होता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान में संकलित तत्व गुणात्मक होते हैं। प्रारंभिक स्वरूप में ये तत्व जटिल, अस्पष्ट तथा परस्पर उलझे हुये होते हैं। इन अस्पष्ट तथ्यों को उनके स्वरूप और प्रकृति के अनुसार भिन्न–भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा।

4.0 प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणाम

प्रदत्तों का सारणीयन करने से उनके सांख्यिकीय विश्लेषण व विवेचन में सुविधा होती है। अतः विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तरों की संख्याओं के प्रकारो को उनके उपयुक्त संवर्गो में अभिलेख किये जाने को सारणीयन कहते है। सारणीयन के पश्चात् सांख्यिकीय विश्लेषण का कार्य किया जाता है। इसमें प्राप्त मूल आंकड़ो को प्रतिशत, माध्य एवं सहसम्बन्ध सूचकांक में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाता है तथा उसमें अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए उपयुक्त परीक्षणों को प्रयुक्त किया जायेगा ताकि प्रस्तुत समस्या का सही हल मिल सके।

सदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल एम.डी. (2009–10) : सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकाश : रयेश बुक डिपों जयुपर, नई दिल्ली।

अग्रवाल, डा. डी के, पाठक, डा. अभय, उद्यमिता विकास, प्रकाशक रामप्रसाद एण्ड सन्स, बाल विहार, हमीदिया रोड, भोपाल।

ओझा राधा (जुलाई, दिसम्बर 2008) मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन।

अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास मंत्रालय संगठन, ग्रामीण भारत मासिक पत्रिका, अक्टूवर 2010, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

अखिलेश डॉ.एस. भारतीय नारीः कल और आज, प्रकाशक गायत्री पब्लिकेशन 41/42 रघुवंश सदन, शान्ति कुन्ज बिछिया, रीवा (म.प्र)

अखिलेश डॉ.एस. रीवा दर्शन, प्रकाशक गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र)

अग्रवाल श्रीमती कविता, अर्धशास्त्र बी.ए. पंचम सेमेस्टर शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, खजूरी बाजार, इन्दौर।

अहूजा राम, सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिंकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली।

भार्गव गोपाल (2010), ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अधारताल जबलपुर (म.प्र)।

भारत सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2004–2005, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था।

भारत निर्माण तिमाही रिपोर्ट, ग्रामीण भारत मासिक पत्रिका अक्टूवर 2009, प्रकाशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

भारत निर्माण स्वयं सेवक, ग्रामीण भारत मासिक पत्रिका फरवरी 2011, प्रकाशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।